

कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़  
आदेश क्रमांक: 2205-23/86-95-वि. T।2। दिनांक 21.8.95

गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, पलवल [हरिदाबाद] को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से मिडल स्तर की संबंधता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापिस लिया जा सकता है।

नवराज संधु  
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

पू० क्र०-सम-

दिनांक: 21.8.95

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, हरिदाबाद को उनके यादी क्रमांक जी-2-95/3578 दिनांक 8.8.95 के संदर्भ में।
2. प्राचार्य, गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल, पलवल [हरिदाबाद]।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र-2, कम्युनिटी सेंटर प्रीत विहार, नई दिल्ली-110092.

34  
88-21-8-95  
सदस्यक निदेशक विद्यालय,  
दूत: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

...

कार्यालय निदेशक मैग्डरों शिक्षा हरियाणा जण्डोगढ़ ।

आदेश क्रमांक 15/28-96 वि. T131 दिनांक, जण्डोगढ़ 29.8.96.

गोलाया परोगरेसिव पब्लिक स्कूल ~~मैग्डरों~~<sup>पलवल</sup> फरीदाबाद को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से उच्चवीं स्तर की सम्मान्यता लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर गयी की जाने वाली इस विभाग की विदायतों की पालना करता रहेगा ।

विभागीय विदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है ।

सुरज राम  
निदेशक मैग्डरों शिक्षा, हरियाणा,  
जण्डोगढ़ ।

पृ. क्र. -15/28-96 वि. T131 दिनांक, जण्डोगढ़ 2.9.96

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. शिक्षा शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उक्त वादी क्र. जे.-2-96/स्पेशल दिनांक, 31.7.96 के सन्दर्भ में ।
2. प्राचार्य, गोलाया परोगरेसिव पब्लिक स्कूल ~~मैग्डरों~~<sup>पलवल</sup> फरीदाबाद ।
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र व कम्युनिटी सेंटर, प्रगत बिहार, नई दिल्ली - 110092.

B-113-4.56  
निदेशक मैग्डरों शिक्षा, हरियाणा,  
जण्डोगढ़ ।

आदेश क्रमांक 23/134-2000 विन 22

दिनांक चण्डीगढ़ 29-3-2000

गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल पलवल (फरीदाबाद) को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से 10<sup>th</sup> स्तर की संबंधता लेने का हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों की पालना करता रहेगा तथा हरियाणा शिक्षा एक्ट 1995 के तहत जो नियम बनेंगे वह विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

पी.के. महापात्र  
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक तम

दिनांक

5/4/2000

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनके यादी क्रमांक ए.ए./2000/2433 दिनांक 21-3-2000 के तन्दर्भ में।
2. प्राचार्य, गोलाया प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल पलवल (फरीदाबाद),
3. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेंटर, प्रीत बिहार नई दिल्ली-110092.

अधीक्षक विद्यालय-1 5/4/2000  
वृत्त: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,  
चण्डीगढ़।